

**कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)**

क्रमांक/क्रय/CCMGMCH/2026-27/1179

दुर्ग, दिनांक-04/08/2026

कोटेशन सूचना**Quotation Notice**

विषय:- चिकित्सालय के विभिन्न विभागों/वार्डों में भर्ती मरीजों हेतु जीवन रक्षक आक्सीजन एवं अन्य गैस की पूर्ति हेतु दर आमंत्रित करने बाबत

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दूर दुर्ग (छ.ग.) में रख रखाव शाखा से प्राप्त पत्र का आवक क्रमांक 3466/दिनांक-04/08/26 निम्नलिखित ऑक्सीजन वाहक प्रणालियों को भरने के लिए सिमित निविदा आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करे :-

क्र.	विवरण	क्षमता	Per Unit Price (Rs.)	GST% (Rs.)	Transport Charges To & Fro	Total Value (Rs.)
1	O2 Cylinder Bearing Trolley	75 सिलेण्डर/प्रति सिलेण्डर 7000 लीटर				
2	B - Type O2 Cylinder	1400 लीटर				
3	D - Type O2 Cylinder	7000 लीटर				
4	A - Type O2 Cylinder	700 लीटर				
5	NO2 Cylinder Pencil	03 किलोग्राम				
6	NO2 Cylinder Jumbo	35 किलोग्राम				
7	CO2 Cylinder Medium	4.5 किलोग्राम				
8	CO2 Cylinder Medium	6.5 किलोग्राम				

नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. एवं जी.एस.टी. प्रतिशत) या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे।
- फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
- खाली सिलेण्डर/ट्रॉली को आदेश जारी होने के दिनांक/समय से 12 घण्टे की समयावधि में चिकित्सालय परिसर से ले जाना एवं भरे सिलेण्डर/ट्रॉली चिकित्सालय तक पहुंचाना/प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
- सिलेण्डर/ट्रॉली परिवहन से संबंधित समस्त वैधानिक जवाबदारी संबंधित फर्म की होगी।
- सिलेण्डर/ट्रॉली की मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- सिलेण्डर/ट्रॉली में भरे गैस की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच समय-समय पर कराई जा सकती है।
- कोटेशन को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग की क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
- समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

Digitally signed by
Kuldip Singh Sangha
13 Aug 2026 09:20:00

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/क्रय/CCMGMCH/2026-27/1180

दुर्ग, दिनांक 04/08/2026

प्रतिलिपि:-

- अधिष्ठाता, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दूर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- लेखा शाखा/स्टोर शाखा, स्थानीय चिकित्सालय की ओर सूचनार्थ।
- कार्यालयीन प्रति।

हस्ताक्षर

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)